आज का सुविचार

अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है।

साप्ताहिक

युवा प्रदेश

Freedom Of Speech

RNI. NO. MPHIN/2015/76299

संपादक-नागेश नरवरिया

YP24 NEWS

जिले एवं तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है.. संपर्क करे -9425156055

वर्ष 9, अंक- 60 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 28 मार्च 2025 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ -8 | मूल्य 2 रुपये

BNSS- एफआईआर क्या है एवं NCR से क्यूँ अलग होती है जानिए/legal advice....

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 को तो सभी आम नागरिक जानते कि इसमे संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट लिखी जाती है और इस रिपोर्ट को ही पुलिस एफआईआर कहते है अर्थात संज्ञेय अपराध की जो रिपोर्ट पुलिस थाना प्रभारी द्वारा लिखी जाएगी उसे एफआईआर कहा जाता है , जानिए कानूनी भाषा एवं नए कानून में परिभाषा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 154 की परिभाषा-

युवा प्रदेश समाचार पत्र

- लेखक बीआर अहिरवार(एडवोकेट एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

1. संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के थाना प्रभारी को मौखिक रूप से या इलैक्ट्रानिक सूचना (ऑनलाइन शिकायत, एफआईआर) द्वारा की जा सकती है।

A). अगर सूचना मौखिक है तो तुरंत पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबध्द की जाएगी एवं सूचना देने वाले व्यक्ति को पढकर सुनाई जाएगी एवं उस पर उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे।

B). अगर कोई शिकायत इलैक्ट्रानिक(ऑनलाइन E-एफआईआर या शिकायत) द्वारा की गई है तब सूचना देने वाले व्यक्ति को तीन दिन के भीतर बुलाकर हस्ताक्षर किए के बाद लेखबध्द की जाएगी। परन्तु किसी महिला से संबंधित कोई गम्भीर अपराध है जैसे बलात्कार, तेजाब से पीड़ित, छेड़छाड़ आदि तब ऐसे अपराध की एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। पीड़ित महिला अगर नि:शक्त है या कोई महिला बलात्कार से मानसिक या शारीरिक कमजोर हो गई है और वह थाने एफआईआर दर्ज करवाने आने में असमर्थ है तब पुलिस अधिकारी या तो महिला के निवास पर जाकर रिपोर्ट लिख सकते है या जहां महिला को उचित लगे वहां जाकर , लेकिन ऐसी सूचना की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी और मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध की जानकारी तुरंत संबधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को देगा।

2. एफआईआर दर्ज होने के बाद एफआईआर की एक प्रतिलिपि सूचना देने वाले व्यक्ति को तुरंत नि:शुल्क दी जाएगी।

(3) . अगर कोई संज्ञेय अपराध सात वर्ष के कारावास या उसे कम तीन वर्ष तक का है तब थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से पहले चौदह दिन की जाँच कर सकता है ढ्ढ एवं इसकी अनुमति वह डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी से लेगा।

4). अगर कोई पुलिस थाना अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करता है तब पीड़ित व्यक्ति आपनी शिकायत जिले के पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा या स्वय उपस्थित होकर कर सकता है। पुलिस अधीक्षक अगर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत से संतुष्ट हो जाता है तो या तो स्वयं उस अपराध की जाँच करेगा या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को उस अपराध की जाँच के लिए नियुक्त करेगा। पुलिस अधीक्षक (एसपी) जिस पुलिस अधिकारी को अपराध की जाँच करने के लिए नियुक्त करेगा उसे वह सब अधिकार , शक्ति प्राप्त होगी हो संबधित थाने के थाना प्रभारी को थी जिसने संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं की थी।

नोट- नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज को जोड़ा गया है एवं संज्ञेय अपराध जिसकी सजा सात वर्ष से अधिक न हो उसमे पुलिस थाना अधिकारी जाँच करके एफआईआर दर्ज कर सकता है।

आम लोगों के लिए सामान्य शब्दों मे जानकारी- FIR एवं NCR , पुलिस द्वारा संज्ञेय (गंभीर) अपराध में एफआईआर दर्ज की जाती है एवं आपको जानना जरूरी होगा की जब पुलिस अधिकारी द्वारा आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो उसने FIR (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1)) लिखा है या नहीं नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) होगा जिससे आप सरकारी रिपोर्ट भी कह सकते हैं आम भाषा मे पुलिस द्वारा असंज्ञेय (कम गम्भीर) अपराध की रिपोर्ट लिखी जाती है उसे NCR कहते हैं जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 लिखा होता है एवं नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, की धारा 174 लिखा होगा।

NCR असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़ित व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होना होगा यहां बहुत से लोगों NCR दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी की कार्यवाही का इंतजार करते है जबकि NCR में पुलिस थाना अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोई कार्यवाही नहीं करता है।

पत्रकार हैं लोकतंत्र के सच्चे सेनानी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जन-जन तक सूचनाएं पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम हैं पत्रकार- विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी होते हैं। सरस्वती के साधक होने के साथ ही कड़ी मेहनत से सूचनाओं को आमजनों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मुरैना जिला मुख्यालय पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के त्रिवर्षीय दो दिवसीय महाधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा पत्रकारों के हित में जो मांगें रखी गई हैं, उसके निराकरण के लिये शासन स्तर से एक कमेटी का गठन किया जायेगा। इस कमेटी में श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल कर पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ पत्रकारों के हित में कार्य करने वाला बहुत पुराना संगठन है। संगठन के अध्यक्ष श्री शलभ भदौरिया पत्रकारों के हित में निरंतर कार्य करते रहते हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश भर में श्रमजीवी पत्रकार संघ कार्य कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर, विधायक श्री दिनेश गुर्जर, सांसद श्री शिवमंगल सिंह तोमर, श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांताध्यक्ष श्री भदौरिया, श्री आशीष अग्रवाल, पूर्व विधायक श्री बलवीर डण्डौतिया, श्रमजीवी पत्रकार संघ के ग्वालियर-चंबल संभाग के प्रभारी श्री सुरेश शर्मा, कार्यक्रम संयोजक श्री राजकुमार दुबे, जिला अध्यक्ष श्री रामशरण शर्मा एवं प्रदेश भर से आए पत्रकार साथी उपस्थित थे।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये एससीईआरटी को सुदृढ़ करें : स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को सुदृढ़ करने की जरूरत है। इसके लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाये। शिक्षकों को आधुनिक तकनीक से निरंतर अपडेट रखा जाये। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से शुरू हो रहे नये शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों की नामांकन दर को बढ़ाने के लिये समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जाये। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह बुधवार को मंत्रालय में नई शिक्षा नीति-2020 की टॉस्क फोर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

पति के नातेदार पर लगा दहेज एक्ट खत्म किया जा सकता है जानिए/महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जजमेंट...

पति-पत्नी के रिश्तों में झगड़ा होना एक आम बात हो गई है और कानून भी इस बात को मानता है इसलिए पति पत्नी के झगड़ों को कुटुम्ब न्यायालय या ऑन स्टांप सेंटर से समझोता करवाने के लिए भेजता है ढ्ढ लेकीन इसके बावजूद बहुत से झगड़ों में पत्नियां पति या उसके नातेदारों पर आपराधिक मामला दर्ज करवा देते ही ढ्ढ पति या उसके नातेदार अपराध के दोषी हो जाते हैं और इसके बाद अगर वह सभी गलतिया सुधार कर पुनः जीवन यापन करना चाहते हैं तो वह कर सकते है कानून पति या उसके नातेदार को दण्ड से दोषमुक्त भी कर देता है जानिए-

मनोहरसिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाद- सुप्रीम कोर्ट ने उदारवादी रुख अपनाते हुए अपराधी (अपीलार्थी) के दण्ड को भोगे गए दण्ड में परिवर्तन कर दिया

अपीलार्थी की पत्नी ने भूली- बिसरी बातों और झगड़ों को भुलाकर शांतिमय जीवन यापन करने हेतु परस्पर सहमती व्यक्त की थी ढ्ढ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की IPC की धारा 498क (अब वर्तमान में यह ब्न्हस्‍ की धारा 85 एवं धारा 86 होगी) के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि को अपास्त करने में अपनी असमर्थता प्रकट की क्योकि यह अपराध समझोता योग्य नहीं था परन्तु उच्च न्यायालय ने उस दंड को 2 वर्ष से घटाकर 6 माह कर दिया । इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास ने आरोपी एवं उसके माता-पिता को दण्ड संहिता की धारा 498-क तथा दहेज निषेध एक्ट, 1961 की धारा 04 के अंतर्गत प्रत्येक को दो वर्ष के कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने से दण्डित किया था।

उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आ रोपी के माता पिता को दोषमुक्त कर दिया एवं आरोपी के कारावास की अवधि को दो वर्ष से घटाकर छः माह कर दिया। अपीलार्थी (आरोपी) ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की एवं इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिकथन किया कि-

यदि पति-पत्नी के बीच वास्तविक समझोता किया गया है तो आरोपी (पति) के विरुद्ध दायर किया गया क्रूरता संबधी आपराधिक परिवाद वापस लिया जा सकता है भले ही अपराध समझोता योग्य न हो। उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि आरोपी और उसकी पत्नी का विवाह वर्ष 2007 में सात वर्ष पूर्व हुआ था। आरोपी को क्रूरता तथा दहेज की माँग इन दोनो अपराधों के लिए छ्ः माह के कारावास से दण्डित किया है। आरोपी सात दिनों की कारावास भोग चुका है। अतः परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके दंड को भोगे गए दण्ड में लघुक्रत किया जाना उचित होगा। यदि वह क्षतिपूर्ति के रूप मे पत्नी को ढाई लाख रुपए की राशि देने के लिए सहमत हो ,उक्त राशि का संदाय किया जाने पर अपीलार्थी को कारावास से तत्काल रिहा कर दिया जाए।

लेखक बीआर अहिरवार
(पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)

रामनगर पुलिस द्वारा 17 नग मवेशी ज़ब्त कर 2 आरोपियों के विरुद्ध मामला किया पंजीबद्ध

- आखिरकार कौन दे रहा पशु तस्करो को बढ़ावा
- लगातार कार्यवाही के बाद भी नहीं रुक रहा पशु तस्कर का काम

अनूपपुर/ रामनगर। अनूपपुर अक्सर देखा जाता है की जिले के भालूमाडा, कोतमा, रामनगर में महीने के अंदर कम से कम 2 से 3 पशु तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है लेकिन फिर भी पशु तस्कर का कार्य जारी ही रहता है आखिरकार कौन है जिनके द्वारा पशु तस्करो को बढ़ावा दिया जा रहा है सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ सफ़ेद पोशाक वाले ही इन पशु तस्करो के लिए मसीहा बने हुए है तभी तो जिले से पशु तस्कर का कार्य बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आस पास के गाँव से पशुओ को एकत्रित करने के लिए मजदूरों को लगाया जाता है जिनसे 15 किलोमीटर तक पशुओ को पहुंचाने के एवज में 500 रूपये दिए जाते है जिसके लिए 2 से 3 मजदूरों को इस कार्य में लगाया जाता है अगर पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल करें तो निश्चित ही पुलिस उस सरगना तक पहुंच सकती है जो पशुओ के तस्कर का मुखिया बना बैठा है। देखा जाता है की हमेशा छोटी मछली ही काटे में फस्ती है और बड़ी मछली निरंतर अपना काम करते रहती है। कोतमा विधानसभा की जनता पुलिस कप्तान से मांग करती है की पशुओ का ब्यापार करने वाले के विरुद्ध शक्ति से पेस आया जाएं जिससे जिले से पशु तस्कर पूरी तरह से बंद हो सकें।

1 लाख 50 हजार के मावेसियों सहित आरोपियों को किया गिरफ्तार

वही 23 मार्च 2025 को मुखबिर की सूचना पर तस्दीक हेतु आमाडांड खदान के पीछे जंगल मे पहुचकर देखा तो दो आदमी 3 नग भेसी 1 नग पडिया ,11 नग भेसा 2 पडवा कुल 17 नग जिनकी उम करीवन 03-08 वर्ष के बीच है जिसे क्रूरता एवं न्दियता पूर्वक दौडाते मारते पीटते हांकते हुए जा रहे थे जिसे मौके पर घेराबंदी कर पकडा गया जिनसे नाम पता पूछा तो वह अपना नाम 1 भारत सिह पिता कृपाल सिह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मेंड्रा थाना कोडा जिला एमसीबी छ.ग.) 2 बलदेव सिह पिता शम्भू सिह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम भींता थाना मनेद्रगढ जिला एमसीबी (छ.ग.) के कब्जे से 03 नंग भेसी ,1 नग पडिया,11 नग भैसा ,02 पडवा कुल 17 नग कुल कीमती करीबन 150000/- रूपये को जप्त किया गया है एवं आरोपीगण 01 भारत सिह पिता कृपाल सिह उम्र 22 वर्ष निवासीग्राम मेंड्रा थाना कोडा जिला एमसीबी (छ.ग.) 2 बलदेव सिह पिता शम्भू सिह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम भौंता थाना मनेद्रगढ जिला एमसीबी (छ.ग.) के विरूद्ध अपराध क0 66/25 धारा 11(ध) पशु क्ररता अधिनियम का कायम किया गया है उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी रामनगर उपनिरी्षक सुमित कौशिक के कुशल नेतृत्व में प्रआर0 अमित पटेल, आर0 मदगेन्द्र पटेल आर, मनोज उपाध्याय ,अनुरांग सिंह का सराहनीय योगदान रहा है

थाना रामनगर ने 17 नग मवेशी ज़ब्त कर 2 आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध

थाना रामनगर के ने 23 मार्च 2025 को मुखबिर की सूचना पर आमाडांड खदान के पीछे जंगल मे पहुचकर देखा तो दो आदमी 3 नग भेसी 1 नग पडिया 11 नग भेसा 2 पडवा कुल 17 नग जिनकी उम 3-8 वर्ष के बीच है जिसे क्रूरता एवं न्दियता पूर्वक दौडाते मारते पीटते हांकते हुए जा रहे थे जिसे मौके पर घेराबंदी कर पकडा गया।

इनका कहना है

पशु तस्करो के विरुद्ध लगातार पुलिस कार्यवाही कर रही है साथ ही एक मुहीम चलाई जाएगी जिससे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकें।

मोती उर रहमान

सफलता की कहानी

वेदांत मिश्रा एवं निशा कोल का राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता में हुआ चयन

रिपोर्ट रोहित तिवारी

शहडोल। मणिपुर के इंफाल में 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए शहडोल के वेदांत मिश्रा एवं निशा कोल का चयन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शालेय राज्य स्तरीय 17-वर्ष बालक बालिका सेपक टकरा प्रतियोगिता का आयोजन छतरपुर मे हुआ था जिसमे उत्कृष्ट खेल के आधार पर वेदांत मिश्रा शान्ति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल शहडोल कक्षा - 9 वी एवं निशा कोल अशासकीय राजपूत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमराहा कक्षा - 9 वी का चयन शिक्षा विभाग से हुआ। 68 वी शालेय राष्ट्रीय प्रतियोगिता इम्फाल (मणिपुर) में 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक आयोजित होंगी जिसका प्री नेशनल कोचिंग कैंप 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक इंदौर मे आयोजित होगा द्य साथ ही कलेक्टर डॉ. केदार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्रीराम जी श्रीवास्तव ने चयनित खिलाड़ी वेदांत मिश्रा एवं निशा कोल से मुलाकात कर चर्चा की तथा खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता के वेदांत मिश्रा एवं निशा कोल का चयन होने पर सहायक संचालक खेल (एन आई एस)फुटबॉल कोच रईस अहमद, फुटबॉल कोच अनिल सिंह लक्ष्मी सहिस, नरेश कुंडे, सीताराम सहिस, अजय सोंधिया सहित अन्य खिलाड़ियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी।

व्यवहार परिवर्तन कर टीवी मरीजों से किया जाए सामान्य व्यवहार - सीएमएचओ

विश्व क्षय दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का का किया गया आयोजन

शहडोल। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर जिला प्रशिक्षण केन्द्र शहडोल के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा की उपस्थिति में किया गया। संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सामाजिक जागरूकता व क्षय रोगियों के प्रति सभी का व्यवहार सम्मानजनक हो यह सुनिश्चित किया जाये साथ ही सभी निश्चय मित्र के भाँति कार्य करते हुए सामाजिक बाधाओं को दूर करते हुए मरीजों का चिन्हांकन जाँच समय पर उपचार तथा समय-समय पर अनुसरण करने में सहभागिता निभाये। कार्यक्रम को जिला क्षय अधिकारी डॉ.वाई. के. पासवान, सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ सहित अन्य अधिकारी ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही जिले को क्षय

मुक्त करने के शपथ भी दिलाई गई। आयोजित संगोष्ठी में मेडिकल कॉलेज शहडोल के चिकित्सक डॉ. आकाश रंजन, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी सीएचसी सिंहपुर डॉ. सुनील स्थापक, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी सीएचसी जयसिंहनगर डॉ.के.एल. दीवान, जिला क्षय केन्द्र के अधिकारी,कर्मचारी एवं महिला प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विश्व क्षय दिवस पर जागरूकता और स्क्रीनिंग शिविर आयोजित शिविर में 218 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

क्षय रोग जागरूकता के लिए पूरे भोपाल में कई स्थानों पर विश्व क्षय दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल जिले की समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर टीबी एवं असंचारी रोगों की स्क्रीनिंग के लिए विशेष शिविर लगाए गए । टी बी जागरूकता रैलियों, रंगोली, पोस्टर प्रतियोगिता, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से टीबी के लक्षणों बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी गई। इस वर्ष यह दिवस "Yes! We Can End TB: Commit, Invest, Deliver" की थीम पर मनाया जा रहा है। विश्व क्षय दिवस पर सोमवार को गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में श्रमिकों,उनके परिजनों एवं स्थानीय नागरिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं स्क्रीनिंग कैंप लगाया। जिसमें टीबी चैंपियन्स ने अपने अनुभव साझा किए। क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र, टीबी उन्मूलन शपथ एवं फूड बास्केट वितरण किया गया। कार्यक्रम में सी एम एच ओ भोपाल द्वारा टी बी उन्मूलन में किए जा रहे प्रयासों और टी बी मुक्त पंचायतों की जानकारी दी गई। शिविर में 218 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चलित मोबाइल आई टेस्टिंग यूनिट से 150 लोगों की आंखों की जांच की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने कहा कि क्षय उन्मूलन के लिए लक्षणों की सही समय पर पहचान कर स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाना बेहद जरुरी है। भोपाल की 17 ग्राम पंचायत को पिछले साल टीबी मुक्त किया जा चुका है। इस साल 77 और ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की जा रही है। टीबी मरीजों को उपचार अवधि में 1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।भोपाल जिले में नोटिफिकेशन, निक्षय मित्र चिन्हांकन एवं निक्षय पोषण

योजना का विस्तारीकरण, एपिडेमियोलॉजिकल इंटरवेंशन, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ सपोर्ट सिस्टम, निक्षय पोर्टल प्रविष्टि इत्यादि की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। टीबी उन्मूलन हेतु मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा 100 दिवसीय निक्षय अभियान की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में भोपाल जिले द्वारा उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रदेश में सर्वाधिक मरीजों को चिह्नित किया गया है। साल 2024 में भोपाल में कुल 13336 मरीजों को चिह्नित कर उपचार दिया गया है । स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी संभावित क्षेत्रों की पहचान कर स्क्रीनिंग करवाई गई है । टीबी के मरीजों को चिह्नांकित करने के लिए वृद्धाश्रमों, रैन बसेरों, सेंट्रल जेल, औद्योगिक इकाइयों, मेलों, पुलिस विभाग, नगर निगम के सफाई मित्रों, हॉस्टल्स, निर्माणाधीन भवनों में स्क्रीनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेलों, बाजारों में सघन जागरूकता गतिविधियां भी निरन्तर जारी हैं। जागरूकता अभियानों ,परीक्षण, संभावित टीबी मरीजों का स्पूटम कलेक्शन, निक्षय पोर्टल पर प्रिजम्प्टिव आईडी तैयार करना, डॉट्स की उपलब्धता ,उपचार सहायता, निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण एवं मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जा रही है। टीबी के ऐसे मरीज जो पूरा इलाज लेकर स्वस्थ हो चुके हैं उन्हें टी बी चैंपियन बनाया गया है। टीबी के उपचार के साथ-साथ मरीजों के पर्याप्त पोषण के लिए निक्षय मित्रों को भी कार्यक्रम में शामिल होने हेतु प्रेरित किया जा रहा है । जिले में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग निक्षय मित्र बने हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मरीज के साथ रह रहे परिजनों और अन्य हाई रिस्क ग्रुप के लिए ट्यूबरक्लोसिस प्रीवेंटिव ट्रीटमेंट की अनुशंसा के आधार पर सी-वाय टीबी स्किन टेस्ट किया जा रहा है। ये जांच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , जयप्रकाश जिला चिकित्सालय 1250 ,जिला क्षय केंद्र इतवारा ,टीबी हॉस्पिटल ईदगाह हिल्स, सिविल अस्पताल बैरसिया, सिविल अस्पताल बैरागढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार, जवाहरलाल नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल, पल्मोनरी गैस राहत अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिसरोद, सिविल डिस्पेंसरी कमला नगर में निःशुल्क की जा रही है ।

प्रोजेक्टर से चित्रांकन कर जलसंरक्षण की विधि बताई

नपा कार्यालय मे आयोजित कार्यशाला मे जल संतुलन और महत्व को लेकर विशेषज्ञ ने दिए टिप्स

ज्ञान चन्द शर्मा

बालाघाट। जल संतुलन बना रहे इसके लिए सभी की भूमिका जरूरी है वर्षा के जल को संचय करने के लिये कई विधिया है लेकिन आज लोगो के द्वारा इनकी अनदेखी की जा रही है जिससे भयानक जल समस्या उत्पन्न हो रही है रेत वॉटर हार्वेस्ट एवं अन्य जल संवर्धन प्रकिया से जल संतुलन की दिशा मे नागरिको की भागीदारी होनी चाहिये जल संरक्षण को लेकर नगरपालिका परिषद बालाघाट कार्यालय मे जियोलॉजिक एसोएण्ड रिसर्च सेटर के सचिव तथा सेवानिवृत्त प्राध्यापक एव विभागाध्यक्ष भू विज्ञान डॉ संतोष सक्सेना ने विस्तृत रूप मे कार्याशाला लेकर प्रोजेक्टर के चित्रांकन के द्वारा समझाया

अपनाई जाए कृत्रिम संवर्धन की विधिया

कार्याशाला मे डॉ,सक्सेना ने चित्र के माध्यम से प्रायोगिक तरीके से समझाया कि भूजल परिस्थिति के अनुसार जल का संवर्धन स्वय ही करना चाहिए कृत्रिम भू जल संवर्धन की विभिन्न विधिया साधारणा है और इसे आसानी से अपनाकर प्राकृतिक संतुलन जल संरक्षण की दिशा मे प्रत्येक नागरिक योगदान दे सकता है जल संचय को लेकर कृत्रिम भू जल संवर्धन शहरी क्षेत्र मे छतीय जल से भू जल संवर्धन कुआ हैडपंप या ट्यूबवेल के माध्यम से जल संवर्धन इस फिल्टर द्वारा रुफ वाटर हार्वेस्टिंग क्षितिज फिल्टर इकाई द्वारा रूफ वाटर हार्वेस्टिंग इस सोखपीट द्वारा वाटर रिचार्ज सहित अन्य प्रकार से भू जल के कृत्रिम संवर्धन की विधिया बताई साथ ही बताया गया कि वर्षा का जल 99,6प्रतिशत शुद्ध होता है पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है।

प्रेमिका को परेशान करना बना दोहरे हत्या का कारण, अनगिनत वार कर की हत्या

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर /बरबसपुर। दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 25 मार्च को खुलासा किया है, जहां हत्या का कारण आरोपी की प्रेमिका को मृतक द्वारा लगातार परेशान करते हुए उससे जबरन दोस्ती और प्रेम संबंधों का प्रस्ताव दिया जाना था। जिसकी शिकायत युवती ने अपने प्रेमी से की और प्रेमी ने प्रेमिका को परेशान करने वाले युवक को रास्ते से हटाने की योजना बनाते हुए उसे बातचीत करने के बहाने अनूपपुर बुलाया गया, जहां मृतक अपने एक अन्य साथी के साथ अनूपपुर पहुँचा था। जिसके बाद आरोपी ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर बाइक से दोनो को जंगल की ओर ले गया और धारदार हथियार से अनगिनत वार कर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। विवेचना दौरान पुलिस ने दोनो आरोपियों अष्वनी कोल पिता टीकमदास उम्र 20 वर्ष निवासी विवेकनगर दुर्गा मंदिर के सामने चचाई एवं 17 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक सहित धारदार हथियार को जब्त करते हुए उनके खिलाफ धारा 103 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध करते मामले को विवेचना में लिया गया है।

अनूपपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरबसपुर भगवंडा बांध (कच्चा तालाब) के पास स्थित जंगल में 24 मार्च की सुबह 6 बजे 25 वर्षीय अज्ञात युवक का रक्त रंजित शव मिलने की सूचना मिली। जहां सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मन्सूरी, एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेट्टा, कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन सहित एफएसएल शहडोल प्रदीप सिंह, पुलिस डॉग स्कॉट की टीम के साथ पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान युवक के शरीर में धारदार हथियार से कई वार किये जाने के निषान पाये गये। उसी दिन चचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत विजय ग्राउण्ड विवेकनगर के जंगल में झाड़ियों के पास 25 वर्षीय युवक का अज्ञात शव मिला। दोनो ही घटनाओं में युवको की हत्या का तरीका एक जैसा पाया गया। लेकिन दोनो ही शव की षिनाख्त नही हो पाने के कारण कोतवाली एवं चचाई पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म से शव की हुई थी शिनाख्त

ग्राम बरबसपुर भगवंडा बांध के पास स्थित जंगल में मिले 25 वर्षीय अज्ञात युवक के शव की षिनाख्ती आसपास के लोगो द्वारा नही किये जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए मृतक की फोटो सोषल मीडिया के हर प्लेटफार्म मे अपलोड़ किया गया, जिसके कारण मृतक के मामला ने उसकी पहचान रावेन्द्र खाण्डे पिता कलम खाण्डे उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम धौराभाट खुर्द जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ के रूप में की गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों को बुलाकर षिनाख्ती कराई गई। वहीं चचाई थाना अंतर्गत विजय ग्राउंड के पास जंगल में मिले अज्ञात शव की पहचान भी रावेन्द्र खाण्डे के परिजनों से कराई गई, जिसकी पहचान संजीत उर्फ नीलकंठ जांगड़े पिता मारखण्डे जांगड़े उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम लखनपुर थाना फास्टरपुर जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के रूप मं पहचान की गई।

कॉल डिटेल एवं सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुँची पुलिस

पुलिस अधीक्षक मोती उर्र रहमान ने बताया कि दोहरे हत्याकांड की विवेचना एवं उनकी शिनाख्ती के बाद पुलिस ने मृतक रावेन्द्र खाण्डे के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल एवं रेलवे स्टेषन एवं बस स्टैण्ड में लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान अश्वनी कोल पिता टीकमदास कोल उम्र 20 वर्ष निवासी विवेकनगर दुर्गा मंदिर के सामने एवं सह आरोपी 17 वर्षीय नाबालिग के रूप मे की गई। पूछताछ के दौरान दोनो आरोपियों ने धारदार हथियार (फर्नीचर के काम में प्रयुक्त होने वाले उपकरण) से किया जाना स्वीकार किया गया। जिसके बाद पुलिस ने दोनो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे के धारदार हथियार सहित घटना में प्रयुक्त बाइक क्रमांक एमपी 18 जेडसी 1384 को जब्त किया गया।

आरोपी की प्रेमिका को परेशान करना बना दोहरे हत्याकांड का कारण

दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने आरोपी अश्वनी कोल निवासी विवेकनगर चचाई से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि भार्गव अस्पताल बिलासपुर में काम करने वाली युवती से उसकी पहचान वर्ष 2003 में एक शादी समारोह में हुई थी और दोनो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसी बीच उसी अस्पताल में रिसेप्शन पर काम करने वाले रावेन्द्र खाण्डे द्वारा पिछले कुछ महीनों से आरोपी अश्वनी कोल की प्रेमिका से जबरन दोस्ती एवं प्रेम संबंधों का प्रस्ताव देकर परेषान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत युवती ने अपने प्रेमी अश्वनी कोल से की थी। जिससे परेशान होकर अश्वनी ने रावेन्द्र खाण्डे के हत्या की योजना बनाई बनाई और उससे मोबाइल में संपर्क कर बातचीत करने के नाम पर उसे अनूपपुर बुलाया। जहां 23 मार्च की शाम 6.30 बजे रावेन्द्र खाण्डे अपने दोस्त संजीत जांगड़े के साथ ट्रेन से अनूपपुर पहुंचा। जहां आरोपी अष्वनी कोल अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ वहां पहुंचा और बाइक में बैठाकर रावेन्द्र खाण्डे और संजीत जांगड़े को बातचीत करने के नाम पर सूनसान इलाका बरबसपुर के जंगल ले गया और अपने साथ लाये गये धारदार हथियार (रूखना) से रावेन्द्र खाण्डे के शरीर पर अनगिनत वार कर उसकी हत्या कर दी। इस बीच मृतक के साथ आया उसका दोस्त उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में दोनो आरोपियों ने उसे डराधमका कर उसे छोड़ देने की बात कहते हुए अपने साथ बाइक में बैठाकर ले गये और विवेकनगर विजय ग्राउंड के जंगल में ले जाकर उसी हथियार से उसकी भी हत्या कर दी।

दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने वाले पुलिस टीम को 30 हजार का इनाम

पुलिस महानिरीक्षक शहडोल अनुराग शर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर्र रहमान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मन्सूरी सहित पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पहुंच निरीक्षण किया गया एवं आरोपियो से पूछताछ की गई तथा दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने एवं आरोपियो को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करने वाली पुलिस टीम एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेट्टा, कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन, चचाई थाना प्रभारी राकेष उइके, उपनिरीक्षक बी.एल. गौलिया, सहायक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह, नागेश सिंह, प्रधान आरक्षक महेन्द्र सिंह, शेख रसीद, राजेश कंवर, भानू प्रताप, शिवशंकर प्रजापति, सायबर सेल प्रधान आरक्षक राजेन्द्र अहिरवार, प्रकाश तिवारी, अब्दुल कलीम, मोहित यादव, कमलेश रैदास, नागेन्द्र सिंह की टीम को 30 हजार रूपए इनाम देने की घोषणा की है।

पुलिस ने किया अंधे हत्याकांड का खुलासा पोता मूलचंद ही निकला दादी का हत्यारा

ज्ञानचन्दशर्मा

बालाघाट। किरनापुर थानांतर्गत पाला रोड़ सिवनीखुर्द में 7 मार्च को 90 वर्षीय सुभद्रा बाई नागेश्वर की उसके ही पोते मूलचंद पिता भाउलाल नागेश्वर उम्र 34 वर्ष निवासी सिवनीखुर्द द्वारा नाक व मुंह दबाकर निर्मम हत्या कर चांदी की हसली और 12000 रुपए लूट लिए थे।एक पखवाड़े तक पुलिस द्वारा गहन जांच पड़ताल के बाद आरोपी तक पहुंचने और हत्या का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या की सूचना मिलते ही किरनापुर पुलिस बल एवम् फोरेंसिक टीम तत्काल घटनास्थल पहुंची। शव निरीक्षण दौरान मृतिका के मुंह और नाक से खून निकलना पाया। परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि मृतिका के गले में पहनी हुई चांदी की हसली और उसके पास रखे 12 हजार रूपए भी गायब हैं। डॉक्टर्स की टीम द्वारा मृतिका के शव का पीएम कराया गया। रिपोर्ट में पता चला कि मृतिका की मृत्यु दम घुटने से हुई है। सम्पूर्ण जांच उपरांत पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 86/25 धारा 103(1),309(6) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक नगेंद्रसिंह ने अज्ञात रूप से की गई सनसनीखेज हत्या के शीघ्र खुलासे हेतू निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट विजय डाबर,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर के. एल.बंजारे एवम् एसडीओपी लांजी ओमप्रकाश के मार्गदर्शन में किरनापुर पुलिस टीम द्वारा उत्कृष्ट विवेचना कर हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में किरनापुर थाना प्रभारी अशोक ननामा की टीम द्वारा अज्ञात हत्या के खुलासे हेतू लगातार परिजनों एवम् गवाहों से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान मृतिका के संदिग्ध पोते मूलचंद से सघनता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना अपराध दादी की हत्या कर 12 हजार रूपए एवम् गले से चांदी की हसली उतार कर लूटना स्वीकार किया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मृतिका का दूसरा पोता आयुष हैदराबाद से कमाकर घर आया था और उसने दादी को अपनी कमाई के 12 हजार रूपए दिए थे जिसे उसने अपने थैले में रख दिए थे। उसी दिन शाम को घर में कोई नहीं थे इसलिए आरोपी ने रुपए लूटने की योजना बनाई।मृतिका खटिया पर लेटी थी जैसे ही आरोपी ने थैले से रुपए निकाले वो जाग गई और चिल्लाने लगी तभी आरोपी ने उसका मुंह और नाक जोर से दबाकर उसकी हत्या कर दी। जिससे उसका काफी खून भी निकला था। उसके बाद उसके गले में पहनी हुई चांदी की हसली भी चोरी कर लिया था। आरोपी से लूटे गए रुपए और हसली जप्त कर न्यायालय में पेश कर हवालात में डाल दिया गया है। इनकी रही उल्लेखनीय भूमिका किरनापुर थाना प्रभारी अशोक ननामा, उनि अमित अग्रवाल, सउनि रमेश माहुले, आर. कैलाश मेश्राम,आर.विष्णु, आर. राघवेंद्र टेकाम, आर. अरविंद जाटव, विवेक तिवारी आदि। **बालाघाट की रिपोर्ट।**

जैन समाज को मिला न्याय जैन समाज मैरिज के केस भी अब हिंदू समाज एक्ट के हिसाब से ही फाइल होंगे

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने कुटुंब न्यायालय द्वारा दिए गए उस विवादित आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि जैन समाज पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट किया कि देश के संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जैन समाज को उक्त अधिनियम के अधीन हिंदुओं के समकक्ष ही माना था। अतः जैन समुदाय के व्यक्तियों के विवाह संबंधी मामलों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ही प्रभावशाली कानून होगा । हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों को हिंदू विवाह अधिनियम में सम्मिलित किया था। जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जैन ÷टीनू÷ ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत

प्रतिकात्मक चित्र

करते कहा कि ÷हम भले ही जैन हैं, लेकिन दशकों से हमारे समाज के वैवाहिक मामलों में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही निर्णय होते आ रहे हैं। विवाह विच्छेद से संबंधित मामलों में जैन दंपतियों पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू न होने का कुटुंब न्यायालय का फैसला न केवल समाज को असमंजस में डालने वाला था, बल्कि यह एक स्थापित विधिक प्रक्रिया के विपरीत भी था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया था, लेकिन इसके बावजूद विवाह संबंधी हजारों मामले हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ही निराकृत किए गए हैं। इस निर्णय के बाद जैन समाज के लोग असमंजस में थे कि उनके विवाह संबंधी विवाद किस कानून के तहत सुलझाए जाएंगे। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब यह संशय पूरी तरह समाप्त हो गया है। दीपक जैन टीनू ने आगे कहा, उच्च न्यायालय का यह फैसला न केवल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है, बल्कि जैन समाज के हितों की भी रक्षा करता है।

पचास वर्षीय व्यक्ति को कार्निया प्रत्यारोपित किया, बीएमएचआरसी में किया गया पहला सफल नेत्र प्रत्यारोपण

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र बीएमएचआरसी में पहला सफल नेत्र प्रत्यारोपण किया गया। रायसेन जिला निवासी - पचास वर्षीय गैस पीड़ित व्यक्ति को कार्निया प्रत्यारोपित किया गया है। संस्थान में किए गए पहले नेत्र प्रत्यारोपण पर जिला स्वास्थ्य समिति भोपाल ने अस्पताल प्रबंधन और नेत्र रोग विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों को बधाई दी है। मरीज की एक आंख 15 साल पहले चोट लगने से खराब हो गई थी और दूसरी आंख की दृष्टि मोतियाबिंद के कारण अत्यधिक प्रभावित हो गई थी। मरीज को नया जीवन देने के लिए स्वर्गीय आशा शर्मा द्वारा दान किए गए नेत्र का उपयोग किया गया। उन्होंने 17 मार्च को भोपाल के एक निजी अस्पताल में नेत्रदान किया था। उनका कार्निया रविवार को बीएमएचआरसी लाया गया और मंगलवार को प्रत्यारोपण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। वर्तमान में मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इस महत्वपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि को अंजाम देने वाली विशेषज्ञ टीम में नेत्र रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर. प्रोफेसर विजिटिंग को कन्सल्टेंट व अन्य चिकित्सक शामिल थे।बीएमएह्चआरसी की इस उपलब्धि पर जिला स्वास्थ्य समिति भोपाल के सचिव व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने बधाई देते हुए कहा कि भोपाल मेमोरियलञ्च हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर गैस पीड़ितों के लिए बेहतर कार्य और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से तट पर स्वदेशी रूप से विकसित लंबवत-प्रक्षेपित शॉर्ट-रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (वीएलएसआरएसएएम) का सफल उड़ान परीक्षण किया। 26 मार्च को लगभग 12 बजे ओडिशा का। उड़ान-परीक्षण भूमि-आधारित ऊर्ध्वाधर लांचर से बहुत करीब और कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के खिलाफ किया गया था। इसने मिसाइल प्रणाली की निकट-सीमा-निम्न ऊंचाई क्षमता स्थापित की है। परीक्षण के दौरान, मिसाइल द्वारा लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जिससे लक्ष्य को बहुत करीब से भेदने के लिए आवश्यक उच्च मोड़ दर निष्पादित हुई और मिसाइल की चपलता, विश्वसनीयता और पिन-पॉइंट सटीकता स्थापित हुई। परीक्षण युद्ध विन्यास में तैनात सभी हथियार प्रणाली तत्वों के साथ आयोजित किया गया था। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, मल्टी-फंक्शन रडार और वेपन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिसाइल सहित इन तत्वों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया है। सिस्टम के प्रदर्शन को आईटीआर चांदीपुर द्वारा विकसित विभिन्न रेंज इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा कैप्चर किए गए उड़ान डेटा द्वारा मान्य किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और उद्योग को बधाई देते हुए मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास में भारत की मजबूत डिजाइन और विकास क्षमताओं का प्रमाण करार दिया। उन्होंने कहा, यह भारतीय नौसेना के लिए एक उत्कृष्ट बल गुणक होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने भी इस सफल उड़ान परीक्षण पर डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और संबंधित टीमों को बधाई दी, और कहा कि आधुनिक तकनीकों से लैस मिसाइल सशस्त्र बलों को और अधिक तकनीकी बढ़ावा देगी।

पुलिस अधीक्षक शहडोल रामजी श्रीवास्तव के निर्देशन पर अमलाई पुलिस की शानदार कार्यवाही

रिपोर्टर रोहित तिवारी शहडोल

शहडोल। पुलिस अधीक्षक शहडोल रामजी श्रीवास्तव के निर्देशन पर अमलाई पुलिस की शानदार कार्यवाही, अवैध शराब तस्करी पर अमलाई पुलिस की बड़ी कार्यवाही, कोतमा शराब ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से शराब खपाने की थी तैयारी, मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी अमलाई जेपी शर्मा की टीम ने दबिश देकर एक पिकअप माल किया जप्त ,सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बब्बन गुप्ता मैनेजर, गगन दीप भाटिया लाइसेंसी ,संजय बिहारी कोतमा लायसेंसी पार्टनर करा रहे थे तस्करी पुलिस को देख मौके से हुआ फरार। समाचार लिखे जाने तक जारी कार्यवाही, लगभग 200 पेटी अंग्रेजी शराब हुई जप्त।

पत्रकार कुलदीप पर झूठा प्रकरण दर्ज करने के विरोध में श्रमजीवी पत्रकार परिषद ने सौंपा ज्ञापन

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

अनूपपुर। राजधानी भोपाल के पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया के खिलाफ पुलिस द्वारा फर्जी वा झूठा प्रकरण दर्ज किए जाने के विरोध में 27 मार्च गुरूवार को राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद जिला इकाई अनूपपुर के जिलाध्यक्ष अमित शुक्ला के नेतृत्व में जिले के पत्रकार संयुक्त कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय को ज्ञापन सौंपा गया। जहां ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया के खिलाफ कटारा हिल्स थाना पुलिस द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक्सीडेंट केस में अड़ीबाजी का झूठा प्रकरण बनाते हुए एफआईआर दर्ज कर आधी रात को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा षड्यंत्रपूर्ण तरीके से पत्रकार कुलदीप के साथ किए गए उक्त अनैतिक कृत्य के विरोध में राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद जिला इकाई अनूपपुर एवं ब्लॉक इकाई के सभी पदाधिकारी एवं समस्त सदस्यों ने संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपते हुए मांग की गई है कि पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया पर फर्जी प्रकरण दर्ज करने वाले थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए, थाना प्रभारी के ऊपर फर्जी मुकदमा दायर करने का अपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जाए, पत्रकार कुलदीप के खिलाफ पंजीबद्ध अपराध को तत्काल प्रभाव से वापस लिया

जाए एवं फर्जी अपराध पंजीबद्ध करने के मामले में संलग्र सभी अन्य लोगो की जांच कर उन पर भी मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जाये। वहीं ज्ञापन सौंपने वालो में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभागीय प्रभारी शहडोल राजेश शुक्ला, संभागीय अध्यक्ष शहडोल चैतन्य मिश्रा, संभागीय कोषाध्यक्ष पुनीत सेन, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश पांडेय, जिला प्रवक्ता भगवान दास मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष रमाकांत शुक्ला, जिला सचिव चंदन केवट, अनूपपुर ब्लॉक अध्यक्ष दिगंबर शर्मा, शैलेन्द्र विश्वकर्मा सहित ब्लॉक उपाध्यक्ष अमित तिवारी, ब्लॉक महासचिव अजय नामदेव, अरूण ओटवानी, नीरज द्विवेदी, ब्लॉक सचिव निगमदास चौधरी, राजेश कुमार चौधरी, संस्कार गौतम, मदनमोहन मिश्रा, अजीत तिवारी, संदीप गर्ग, आशीष तिवारी सहित अन्य सदस्य वा पदाधिकारी शामिल रहे।

भगवा पार्टी के ज्ञापन का हुआ असर

शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों /कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दर लागू करने कलेक्टर का आदेश

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

अनूपपुर। भारतीय गण वार्ता पार्टी जिलाध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ सूरज राठौर द्वारा 19 मार्च 2025 को दिए गए ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए अनूपपुर जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025 को शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू करने हेतु आदेशित किया गया है। जिलाध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ भारतीय गण वार्ता (भगवा) पार्टी सूरज राठौर के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर अनूपपुर को ध्यानाकर्षण कराया गया था कि मध्यप्रदेश शासन,इन्दौर का श्रमायुक्त, पत्र क्र.1/11/अन्वे./पांच/2024/8272-522 इन्दौर दिनांक 06/03/2025 के अनुसार शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों हेतु दिनांक 01/10/2024 प्रभाव शील दरें ÷अनुसूची (क)÷ के अनुसार अनुसूचित की गई हैं।म.प्र.वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ठ 6 के नियम 43 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 के लिये अनुसूची (क) के आधार पर दरें अधिसूचित की जाती हैं।जिसके आधार पर कई जिलों के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू कर दी गई है।इस हेतु अनूपपुर जिले के शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों(अकुशल,कुशल,अर्द्धकुशल,उच्चकुशल),कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू की जाए जिसका लाभ जल्द से जल्द समस्त गरीब शासकीय दैनिक वेतनभोगी कुशल,अकुशल,अर्द्धकुशल,उच्चकुशल सभी श्रेणी के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को प्राप्त हो सके।

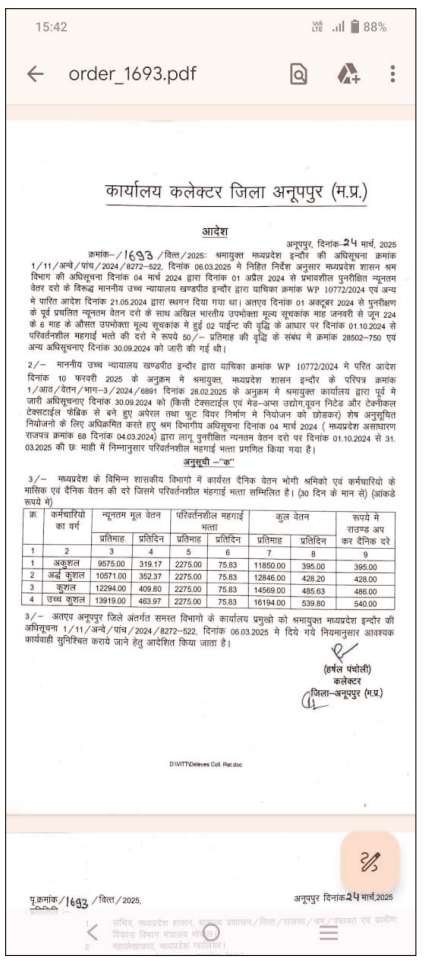

15:42 88%

order_1693.pdf

कार्यालय कलेक्टर जिला अनूपपुर (म.प्र.)

आदेश

अनूपपुर, दिनांक-24 मार्च, 2025

क्रमांक-/1693 /वित्त/2025:: श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/8272-522, दिनांक 06.03.2025 मे निहित निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 04 मार्च 2024 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2024 से प्रभावशील पुनरीक्षित न्यूनतम वेतर दरो के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP 10772/2024 एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 21.05.2024 द्वारा स्थगन दिया गया था। अतएव दिनांक 01 अक्टूबर 2024 से पुनरीक्षण के पूर्व प्रचलित न्यूनतम वेतन दरो के साथ अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह जनवरी से जून 224 के 6 माह के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मे हुई 02 पाईन्ट की वृद्धि के आधार पर दिनांक 01.10.2024 से परिवर्तनशील महगाई भत्ते की दरो मे रूपये 50/- प्रतिमाह की वृद्धि के संबंध मे क्रमांक 28502-750 एवं अन्य अधिसूचनाए दिनांक 30.09.2024 को जारी की गई थी।

2/- माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP 10772/2024 मे परित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के अनुक्रम मे श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन इन्दौर के परिपत्र क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/6891 दिनांक 28.02.2025 के अनुक्रम मे श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी अधिसूचनाए दिनांक 30.09.2024 को (किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग,वूवन निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल तथा फुट वियर निर्माण मे नियोजन को छोडकर) शेष अनुसूचित नियोजनो के लिए अधिक्रमित करते हुए श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च 2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा लागू पुनरीक्षित न्यनतम वेतन दरो पर दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 की छः माही में निम्नानुसार परिवर्तनशील महगाई भत्ता प्रगणित किया गया है।

अनुसूची -"क"

3/- मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागो में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिको एवं कर्मचारियो के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरे जिसमे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (30 दिन के मान से) (आंकडे रूपये मे)

क्र.	कर्मचारियो का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये मे राउण्ड अप कर दैनिक दरे
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल	9575.00	319.17	2275.00	75.83	11850.00	395.00	395.00
2	अर्द्ध कुशल	10571.00	352.37	2275.00	75.83	12846.00	428.20	428.00
3	कुशल	12294.00	409.80	2275.00	75.83	14569.00	485.63	486.00
4	उच्च कुशल	13919.00	463.97	2275.00	75.83	16194.00	539.80	540.00

3/- अतएव अनूपपुर जिले अंतर्गत समस्त विभागो के कार्यालय प्रमुखो को श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर की अधिसूचना 1/11/अन्वे/पांच/2024/8272-522, दिनांक 06.03.2025 मे दिये गये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

(हर्षल पंचोली)
कलेक्टर
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

D:\VITT\Deleves Coll. Ret.doc

पृ.क्रमांक/1693 /वित्त/2025, अनूपपुर दिनांक 24 मार्च,2025

अनूपपुर फ्लाईओवर ब्रिज, एक महाकाव्य निर्माण

विनोद विन्ध्येश्वरी प्रसाद पाण्डेय

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

अनूपपुर। जिले का रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज अब कोई आम पुल नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर बनता जा रहा है। यह पुल नहीं, बल्कि अधूरे सपनों का स्मारक है, जो नौ वर्षों से जनता को आश्वासनों के पुल से गुजार रहा है। इसे बनाने का काम 2016 में घोषित हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि इसे बनाने का ठेका कछुओं की फैक्ट्री को दिया गया है, जो अपनी धीमी चाल से इसे ऐतिहासिक बना रहे हैं।पांच बार भूमि पूजन हो चुका है। पाँच बार! यानी अगर फ्लाईओवर न बनता, तो भी वहाँ भूमि पूजन का रिकॉर्ड कायम हो जाता। हर बार नए नेता आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, फीता काटते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर आश्वासन की चादर ओढ़ाकर चलते बनते हैं। यह ब्रिज नहीं, बल्कि ÷राजनीतिक पर्यटन स्थल÷ बन चुका है, जहाँ नेता आते हैं, झूठे वादों की माला चढ़ाते हैं, और जनता को आश्वासन रूपी 'प्रसाद' देकर चले जाते हैं।इस ब्रिज के दोनों ओर महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान हैं, लेकिन जनता को 6 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। प्रशासन इसे समस्या नहीं, बल्कि एक सरकारी 'फिटनेस प्रोग्राम' मान चुका है। पुल नहीं बना? कोई बात नहीं!

जनता को मुफ्त में रोज़ 6 किलोमीटर दौड़ने का अवसर मिल रहा है। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सरकार की फिटनेस योजना भी सफल कहलाएगी !इस ब्रिज के निर्माण की गति देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे भारतीय रेलवे की सबसे धीमी ट्रेन से भी धीमे बनाया जा रहा हो। मजदूरों को शायद ठेकेदार ने कह रखा है, जल्दी मत करना, वरना सरकार को नया बहाना ढूंढना पड़ेगा !आखिर यह ठेका देने की परंपरा जो बनी रहनी चाहिए।अब तो इस ब्रिज के जल्दी बनने की उम्मीद छोड़ दीजिए। यह एक धार्मिक स्थल बनता जा रहा है। जनता रोज़ प्रार्थना करती है कि ÷हे भगवान, इस अधूरे ब्रिज को पूरा करा दो !÷ अगर ऐसे ही चलता रहा, तो जल्द ही वहाँ ÷फ्लाईओवर माता मंदिर÷ की स्थापना हो जाएगी और नेता हर चुनाव में वहाँ मत्था टेकने आया करेंगे। जनता को एक सुझाव दिया जा सकता है कि इस ब्रिज को अधूरा ही रहने दिया जाए और इसे विश्व का सबसे धीमी गति से बनने वाला पुल घोषित कर दिया जाए। इससे पर्यटन बढ़ेगा, लोग दूर-दूर से इसे देखने आएंगे और सरकार को इससे भी कुछ कमाई हो जाएगी। अगली बार चुनावी घोषणापत्र में यह वादा किया जाना चाहिए (हमारी सरकार आई, तो इस पुल को कभी पूरा नहीं होने देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसे देखकर प्रशासनिक लापरवाही की सीख ले सकें!)

वार्ड 1 में जंगली सूअरों का आतंक, की गेहूं की फसल को कर रहे हैं बर्बाद,

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

बरगवां अमलाई (अनूपपुर)। नगर परिषद बरगवां अमलाई के वार्ड क्रमांक 1 में जंगली सूअरों का आतंक किसानों के लिए अभिशाप बन गया है। इन जंगली जानवरों के झुंड रात के अंधेरे में खेतों में घुसकर गेहूं की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत और आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। किसान द्वारा पशुओं एवं वन्यजीवों से सुरक्षा के लिए लगाई गई जाली नुमा फेंसिंग भी इन सूअरों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। किसान का कहना है कि उनकी शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, स्थानीय किसान के अनुसार, जंगली सूअर रात के समय बड़े झुंडों में खेतों में घुस आते हैं और गेहूं की फसलों को रौंदकर बर्बाद कर देते हैं। उनका कहना है कि हम दिनभर खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन रात होते ही ये सूअर सब कुछ नष्ट कर देते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल उनकी फसल का बड़ा हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है, और अगर यही स्थिति रही तो उनकी आर्थिक हालत और खराब हो जाएगी।किसानों ने इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को सूचित किया है, लेकिन उनकी शिकायतें कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन की ओर से केवल खानापूर्ति की जा रही है, और उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।सरकार ने वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए सहायता और मुआवजे की बात तो करती है, लेकिन किसानों का कहना है कि यह मदद नाकाफी और अप्रभावी है।अगर मुआवजा मिलता भी है, तो वह इतना कम होता है कि उससे नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। हमारी पूरी फसल बर्बाद हो रही है, और हमें सिर्फ आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिलता।÷ किसानों का यह भी आरोप है कि मुआवजे की प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि कई बार उन्हें समय पर मदद नहीं मिल पाती।

बराबरी से खड़े होने पर दलित को जलती होलिका में धकेला

सीहोरा क्षेत्र में दबंगों की करतूत, 60 फीसदी जला पीड़ित

सागर। नवदुनिया प्रतिनिधि

फुटेरा गांव में हुई घटना, दंपती पर केस दर्ज, पुलिस कर रही तलाश

दबंगों को दलित वर्ग के एक व्यक्ति का उनके बराबरी से खड़ा होना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने दलित को जलती होलिका में धकेल दिया। घटना सीहोरा क्षेत्र के फुटेरा गांव में उस वक्त घटी जब होलिका दहन हो रहा था। दलित वर्ग का एक व्यक्ति सभी के साथ खड़ा होकर जलती होली में गेहूं की बालियां भूंज रहा था। तभी पास खड़े दंपती ने इस पर आपत्ति जताते हुए दलित को जलती लगाने लगे। इस दौरान गांव के बलराम पिता बरसाती अहिरवार (45) गेहूं की बालें लेकर आया और होलिका की परिक्रमा कर उसमें बालें सेंकने लगा। उसके पास राजे राजपूत व उनकी पत्नी खड़ी थी। दलित द्वारा बराबरी से खड़े होकर बालें सेंकना उन्हें नागवार लगा। वे उसे गालियां देने लगे। इससे मना करने पर उसे होलिका में धक्का दे दिया। आग से

एक बरोबरी मा खड़े होए ले,
सूद्र ला जला के मारत हे।
मनु विधान अउ राम राज के,
यमदूत मन हुंकारत हे।।
हिन्दू एकता के बात करइया,
पाखंडी मन हे कलेचुप।
हिन्दू बने फिरइया सूद्र हो,
देख लो उंखर छलिया रुप।।

लक्ष्मी नारायण कुम्भकार सचेत दुर्ग (छ0ग0)

19 मार्च को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे मजदूर कांग्रेस शाखा अनूपपुर का द्विवार्षिक अधिवेशन समपन्न।

सिराज अहमद अध्यक्ष ,जयंतो दास गुप्ता सचिव और सदाशिव पांडे कोषाध्यक्ष हुए निर्वाचित

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

अनूपपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस शाखा अनूपपुर का द्विवार्षिक अधिवेशन शाखा कार्यालय अनूपपुर प्रांगण में 19 मार्च 2025 को जोनल कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण राव की अध्यक्षता,मंडल समन्यक विजय अग्निहोत्री के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय पदाधिकारी आर.के. यादव डायरेक्टर अर्बन बैंक एवं केंद्रीय कोषाध्यक्ष डी.के.स्वाइन विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति पर कार्यक्रम की शुरुआत में महात्मा गांधी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं रामधुन भजन गाकर प्रारंभ की गई।कार्यक्रम के मुख्य मंडल सामान्य विजय अग्निहोत्री में अपने उद्बोधन कहा कि सभा में उपस्थित समस्त रेल्वे कर्मचारियों का रेल्वे मजदूर कांग्रेस परिवार हृदय से स्वागत करता है।गुप्त मतदान 2024 में आप सभी ने 11 वर्षों बाद पुनः रेल्वे मजदूर कांग्रेस को लगातार दूसरी बार एकल मान्यता प्राप्त चुनाव जीताकर यह प्रमाणित किया है कि रेल्वे मजदूर कांग्रेस लगातार रेल कर्मचारियों के हित में कार्य कर रही है,यूनियन का कर्तव्य कर्मचारी हित में प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर हर स्तर के कार्य को किया जाना है,क्योंकि मंडल पीएनएम,जोनल पीएम एवं रेलवे बोर्ड स्तर पर रेल कर्मचारियों के हर समस्याओं को रखकर उसका हल किया जाता है।

वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लक्ष्मण राव ने बताया कि रेल्वे संगठन चलाने के लिए सभी को आपस में संपर्क में रहना होगा।सभी शाखा प्रभारी 50 लोगो का समूह बनाकर रेल कर्मचारियों की सेवा करनी होगी जिससे संगठन गतिशील एवं मजबूत होगा।उन्होंने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर लगातार संघर्ष जारी है।चुनाव 2024 में 13 जोन जीतने के बाद हमारा सबसे बड़ा संकल्प है कि ठ्ठश्वह्य एवं ह्वश्वह्य को हटाना एवं पुरानी पेंशन को लागू करवाना।साथ ही रेल्वे मजदूर कांग्रेस के द्वारा कर्मचारियो के हित में क्या-क्या कार्य किए गए उसकी बिंदु वार जानकारी प्रदान की गई।वही शाखा अनूपपुर के कोषाध्यक्ष जयंतो दास गुप्ता द्वारा पिछले वर्षों के आय व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत किया गया। द्विवार्षिक अधिवेशन मे रेल्वे मजदूर कांग्रेस के महामंत्री पीताम्बर लक्ष्मी नारायन के अनुमति एवं निर्देश से नियुक्त केंद्रीय पदाधिकारी गण उक्त द्वितीय अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए।कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि विजय अग्निहोत्री द्वारा अनूपपुर शाखा की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।जिसे कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों रेल कर्मचारियों के द्वारा ध्वनि मत से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।अनूपपुर शाखा की कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद हेतु सिराज अहमद मंसूरी,उपाध्यक्ष रामदास राठौर एवं आशा दीप तिर्की, कार्यकारी अध्यक्ष विवेक कुमार राय, शाखा सचिव जंयतो दास गुप्ता,सहसचिव एस.संजीय राव, अनुज कुमार यादव,सुरेंद्र राय,संगठन सचिव मोहम्मद वसीम और अजीत कुमार तथा कोषाध्यक्ष सदाशिव पांडे को निर्विरोध घोषित किया गया।

कुम्भ-कुम्भ

महाकुंभ 2025– आस्था, भव्यता और आधुनिकता का अद्भुत संगम

वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने एक बार फिर विश्व को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि यह आधुनिक भारत की संगठनात्मक क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का भी जीवंत प्रदर्शन था।

ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व

महाकुंभ का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व सदियों पुराना है। यह समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, और यह पवित्र नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष और शुद्धि का प्रतीक है। 2025 का महाकुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह खगोलीय गणनाओं के अनुसार 144 वर्षों में एक बार होने वाले नक्षत्र संरेखण के साथ मेल खाता था।

भव्य आयोजन और प्रबंधन

2025 के महाकुंभ का आयोजन एक विशाल और जटिल कार्य था। उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए व्यापक तैयारियाँ कीं।

इनमें शामिल थे।

अस्थायी शहर का निर्माण – एक विशाल अस्थायी शहर का निर्माण किया गया, जिसमें आवास, भोजन, चिकित्सा और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध थीं।

स्वच्छता और स्वच्छता– स्वच्छता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया, और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन किया गया।

सुरक्षा व्यवस्था– सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा गया, और तकनीकी निगरानी का उपयोग करके भीड़ को नियंत्रित किया गया।

परिवहन और संचार– परिवहन और संचार की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की गई, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके श्रद्धालुओं को जानकारी प्रदान की गई।

तकनीकी समावेश– महाकुंभ 2025 में, आधुनिक तकनीकी का भरपूर प्रयोग किया गया। जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिली। जैसे की, डिजिटल माध्यम से जानकारी देना, और क्राउड को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना।

आस्था और आध्यात्मिकता का प्रवाह –

महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया, संतों और साधुओं के प्रवचन सुने, और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने की कामना कर रहे थे।

सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन

महाकुंभ भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रतीक था। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोग एक साथ आए, अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों का प्रदर्शन किया, और एक-दूसरे के साथ संवाद किया।

वैश्विक प्रभाव

2025 के महाकुंभ ने वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इस आयोजन ने दुनिया भर के पर्यटकों और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, और भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया।

निष्कर्ष

2025 का महाकुंभ एक सफल और यादगार आयोजन था। इसने न केवल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को पूरा किया, बल्कि यह आधुनिक भारत की संगठनात्मक क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का भी जीवंत प्रदर्शन था। यह आयोजन आने वाले वर्षों में भी लोगों को प्रेरित करता रहेगा।

लेखिका डाक्टर ईरा वर्मा (प्रोफेसर)
पी एम श्री गवर्नमेंट नर्मदा कालेज
नर्मदापुरम

कानूनी जानकारी सभी के लिए अनिवार्य-डा कल्पना भारद्वाज

पत्रकार बीआर अहिरवार

नर्मदापुरम। शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम द्वारा ग्राम गोद आगरा कला में दिनांक 21.3.2025 को विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय के एलएलबी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र- छात्राओं द्वारा विधिक जागरूकता रैली निकाली गई एवं विद्यार्थियों द्वारा अलग-अलग सामाजिक समस्याओं जैसे -साइबर फ्रॉड,डिजिटल अरेस्ट,घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना जैसे विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए इस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति महाविद्यालय के छात्र संस्कार गुप्ता,तनुश्री प्रार्थना गौर, जुगल किशोर,ईश्वर, अफ़जा नूर,राजकुमार एवं उनके टीम साथियों द्वारा किया गया इसके उपरांत विद्यार्थियों के द्वारा घर-घर जाकर विधिक सहायता एवं ग्राम वासियों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें समाधान बताएं जिसमें आयुष्मान कार्ड,आवास संबंधित समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या एवं विभिन्न समस्याओं का समाधान विद्यार्थियों द्वारा ग्राम निवासियों को बताया गया इस शिविर का आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कल्पना भारद्वाज के सानिध्य में किया गया जिसमें महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही ।

मीणा समाज संगठन रायसेन का होली मिलन समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय पत्रकार

रायसेन। विगत दिवस मीणा समाज सेवा संगठन जिला रायसेन का होली मिलन समारोह कार्यक्रम श्री गोपाल कृष्ण गौशाला पर संपन्न हुआ इस अवसर पर संगठन की जिला कार्यकारिणी एबं मंडल कार्यकारिणी का विस्तार कर संगठन के पदाधिकारियो को नियुक्ति पत्र प्रदान किए संपूर्ण जिले के 100 कार्यकर्ताओं को मीना समाज सेवा संगठन जिला रायसेन में नियुक्तियां वितरण की गई एवं 80 नियुक्तियां युवा मीणा समाज सेवा संगठन जिला रायसेन में की गई रायसेन जिले के सभी तहसीलों में तहसील अध्यक्ष नियुक्त किए गए एबं आगामी 2 अप्रैल को मीणा समाज सेवा संगठन जिला रायसेन के नेतृत्व में मीणा समाज के आराध्य देव भगवान मत्स्य जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाने हेतु सामाजिक बन्धुओ ने विचार विमर्श कर जनमोत्स्व कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की इस मौके पर समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता एबं संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मलखान सिंह मीणा जी संगठन प्रदेश मंत्री श्री दिवान सिंह मीणा जी प्रदेश सदस्य श्री दातार मीणा जी,सुल्तानपुर नगर परिषद अध्यक्ष श्री हेमराज मीणा जी,किसानमोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीओमप्रकाश मीणा जी,जिला पँचायत सदस्य श्रीसोनू मीणा,श्री दीपेश मीणा ,संगठन जिला अध्यक्ष श्री मिट्ठूलाल मीणाजी, युवा जिलाध्यक्ष श्री माधव मीणा जी,श्रीभगवान सिंह मीणा, श्रीलीलाकिशन मीणा,श्री भगवान सिंह मीणा, श्री बाबूलाल मीणाजी ,श्री किशन सिंह मीणाजी ,श्रीरमेश मीणा,श्री कालूराम सरपंच एबं साथ मनाया जाएगा प्रमुख रूप से उपस्थित श्री रमेश मीणा श्री भगवान सिंह पटवारी साहब श्री भगवान सिंह शिक्षक श्री बाबूलाल

जी मीणा श्री नारायण सिंह जी मीणा श्री शिवराज सिंह मीणा श्रीमुन्नालाल जी मीणा श्री महाराज सिंह जी मीणा कमलेश मीणा तहसील अध्यक्ष गैरतगंज श्री ठाकुर प्रसाद सांची अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद अध्यक्ष नीमखेड़ा मंडल इंदल सिंह मीणा नकतरा मंडल अध्यक्ष , श्री नरेंद्र मीणा चौहान सिंह मीणा जिला महामंत्री संदीप मीणा (अम्बाडी),दीवानगंज मंडल अध्यक्ष प्रकाश मीणा, द्वारका प्रसाद मीणा भंवर लाल मीणा धीरज सिंह मीणा बलराम वकील मचल सिंह वकील नरपत सिंह गुलाब सिंह मनीराम वेद प्रकाश नवल सिंह कीरत सिंह आदि मीणा सामाजिक बंधु संपूर्ण जिले से सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

उदयपुरा क्षेत्र के युवा धावक विवेक लोधी शिमला में होने वाली सिल्क अल्ट्रा ट्रेल रनिंग में लेंगे हिस्सा

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय पत्रकार

उदयपुरा। उदयपुरा क्षेत्र के होनहार युवा धावक विवेक लोधी इस बार हिमाचल प्रदेश के शिमला में होने वाली सिल्क अल्ट्रा ट्रेल रनिंग में भाग लेने जा रहे हैं। यह प्रतिष्ठित अल्ट्रा मैराथन 12 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें धावकों को 100 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण दौड़ पूरी करनी होगी।

इस प्रतियोगिता की खासियत यह है कि यह बेहद कठिन पहाड़ी रास्तों, उतार-चढ़ाव और संकरी पगडंडियों से होकर गुजरती है, जिससे धावकों की सहनशक्ति और मानसिक मजबूती की कड़ी परीक्षा होती है। विवेक लोधी ने इस चुनौतीपूर्ण दौड़ के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी की है।

उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र के युवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वे खेलों के प्रति जागरूक होंगे। क्षेत्र के सभी स्वजनों ने विवेक लोधी को इस मैराथन के लिए शुभकामनाएं दीं और आशा की वे शानदार प्रदर्शन करेंगे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे।

जिले में गेहूँ के डंठलों (नरवाई) में आग लगाने पर धारा 163 के तहत प्रतिबंध, आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत होगी दंडनीय कार्रवाई

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय पत्रकार

रायसेन। जिले में जनसामान्य के हित, सार्वजनिक सम्पत्ति, पर्यावरण एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से सम्पूर्ण रायसेन जिले की भौगोलिक सीमा में खेत में खड़े गेहूँ के डंठलों (नरवाई) में आग लगाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध आगामी दो माह तक जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

उल्लेखनीय है कि जिले की राजस्व सीमा में गेहूँ की फसल की कटाई के पश्चात अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए बहुसंख्यक किसानों द्वारा अपनी सुविधा के लिए खेत में आग लगाकर गेहूँ के डंठलों को नष्ट कर खेत साफ किया जाता है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे नरवाई में आग लगाने की प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। जिले में खलियानों से गुजर रही बिजली लाईनों पर कुछ कृषकों द्वारा अवैध वायर अथवा तार लगाकर बिजली का उपयोग किए जाने से तारों से स्पार्किंग होने से भी कई बार फसलों में आगमनी की घटनाएं घटित होने की संभावना बनी रहती है।

नरवाई में आग लगाना खेती के लिए नुकसानदायक होने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। इसके कारण विगत वर्षो में गंभीर अग्नि दुर्घटनाएं घटित हुई हैं तथा व्यापक सम्पत्ति की हानि हुई है। साथ ही बढ़ते जल संकट में इससे बढ़ोत्री तो होती ही है, साथ ही कानून व्यवस्था के लिए भी विपरीत स्थितियां निर्मित होती है। खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जनसम्पत्ति व प्राकृतिक वनस्पति, जीव-जन्तु आदि नष्ट हो जाते हैं। साथ ही खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्य जीवाणु इससे नष्ट होते हैं जिससे खेत की उर्वरा शक्ति भी धीरे-धीरे घट रही है और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। नरवाई जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। यदि फसल अवशेषों, नरवाई को एकत्र कर जैविक खाद जैसे भू-नाडेप वर्मी कम्पोस्ट आदि बनाने में उपयोग किया जाए तो यह बहुत जल्दी सड़कर पोषक तत्वों से भरपूर खाद बना सकते है। इसके अतिरिक्त खेत में कल्टीवेटर, रोटावेटर या डिस्क हेरो की सहायता से फसल अवशेषों को भूमि में मिलाने से आने वाली फसलों में जीवांश के रूप में बचत की जा सकती है।

उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान एवं वार्षिक परीक्षा परिणाम एवं खेल प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह में उत्कृष्टता की नई मिसाल

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय पत्रकार

उदयपुरा, 25 मार्च 2025। आदर्श महिमा पब्लिक स्कूल उदयपुरा द्वारा आयोजित उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान एवं वार्षिक परीक्षा परिणाम और खेल प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह में शिक्षा, खेल और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री राम सिंह जी राजपूत (अध्यक्ष पेशनर्श एसोसिएशन उदयपुरा), श्री बालगोविंद जी रघुवंशी और श्री प्रवीण जी श्रीवास्तव (अध्यक्ष, पत्रकारिता संगठन) थे।

कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलित करके की गई। शाला के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी गई। इस अवसर पर सरस्वती पूजा का आयोजन भी किया गया, जिसे अध्यक्ष पेशनर्स एसोसिएशन उदयपुरा, श्री राम सिंह जी राजपूत और श्री बालगोविंद रघुवंशी(अध्यक्ष पत्रकारिता संगठन), श्री प्रवीण जी श्रीवास्तव (अध्यक्ष पत्रकारिता संगठन) ने किया।

समारोह में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विशेष रूप से, वार्षिक परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और खेल प्रतियोगिताओं में विजेता रहे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

साथ ही, क्षेत्रीय पत्रकारों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। श्री राम सिंह जी राजपूत ने इस अवसर पर कहा, ÷आज का यह समारोह हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा, खेल और पत्रकारिता तीनों ही समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।÷ श्री बालगोविंद जी रघुवंशी ने पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, ÷पत्रकारिता समाज की आवाज़ होती है, और आज हमें गर्व है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे पत्रकार कार्यरत हैं जो सच्चाई और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।÷

श्री प्रवीण जी श्रीवास्तव ने खेल और शिक्षा में उत्कृष्टता की आवश्यकता को दर्शाते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, ÷सिर्फ शिक्षा ही नहीं, खेल भी बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं।÷

इस अवसर पर शाला संचालक श्री पुरुषोत्तम विश्वकर्मा ने सभी सम्मानित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका आगमन विद्यालय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने अतिथियों के योगदान और प्रेरणादायक विचारों के लिए धन्यवाद दिया, जो शाला के विकास में सहायक सिद्ध होंगे।÷

समारोह में मौजूद सभी बच्चों, खेल प्रतियोगिता विजेताओं और पत्रकारों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यह आयोजन न केवल एक सम्मान था बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना।

इस अवसर पर आदर्श महिमा पब्लिक स्कूल उदयपुरा की सराहना की गई, जहां के बच्चों ने शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। तीनों प्रमुख अतिथियों ने स्कूल के प्रयासों की प्रशंसा की और विद्यालय के समर्पित प्रयासों को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर शाला परिवार में संचालक पुरूषोत्तम विश्वकर्मा प्राचार्य यशवंत बड़कुर, शिक्षक प्रशांत श्रीवास्तव, हरेंद्र विश्वकर्मा , अंकित श्रीवास्तव, योगेश बजाज, सौरभ लोधी, स्वाती धाकड़, अदिति धाकड़, मंजू राय , खुशबू साहू, नीतू राजपूत, भावना राय, प्रज्ञा राजपूत, आसमा खान,संतोष मेहरा उपस्थित रहें।

वार्षिक परीक्षा परिणाम के शीर्ष स्थान प्राप्त छात्रों के नाम-

LKG:*

- फर्स्ट रैंक- आदर्श रघुवंशी
- सेकंड रैंक- रिया आदिवासी

UKG:*

- फर्स्ट रैंक- हिमांशी लोधी
- सेकंड रैंक- संघवी राजपूत

1st क्लास-

- फर्स्ट रैंक-सक्षम राजपूत
- सेकंड रैंक-आर्या सोनी

2st क्लास-

- फर्स्ट रैंक-आर्या पटेल

3st क्लास-

- फर्स्ट रैंक- इशिका सिलावट
- सेकंड रैंक- अथर्व शर्मा

-क्लास 4st फर्स्ट रैंक अवनी बुधौलिया,
सेकंड रैंक पायल विश्वकर्मा

6st क्लास

- फर्स्ट रैंक- सृष्टि रघुवंशी
- सेकंड रैंक- संस्कृति राजपूत

7st क्लास-

- फर्स्ट रैंक- नीतिका राजपूत
- सेकंड रैंक- तनिश धाकड़

9st क्लास-

- फर्स्ट रैंक- सृष्टि विश्वकर्मा
- सेकंड रैंक- ऋषिका पारोचे

खेल प्रतियोगिता विजेता टीमों के नाम-

खो-खो विजेता गर्ल्स टीम-

- कामिनी राजपूत, लक्ष्मी राजपूत, पूर्वी राजपूत, अपूर्व तिवारी, जय श्री लोधी, संध्या धक, कनक विश्वकर्मा, कामना विश्वकर्मा, कनिष्का राजपूत, प्रियांशी भार्गव

कबड्डी विजेता गर्ल्स टीम-

- कविता धानक, राधिका रघुवंशी, दीक्षा धानक, महक लोधी, प्रांजल बिश्नोई, मुस्कान लोधी, कनक राजपूत, पूर्वीका लोधी, स्नेहा राजपूत

कबड्डी विजेता बॉयज टीम-

- गौरव राजपूत, आदित्य राजपूत, अनुराग राजपूत, प्रियांशु रघु, सौरव राजपूत, जतिन राजपूत, राज साहू, सत्यम धानक

खो-खो विजेता बॉयज टीम-

- शशिकांत धाकड़, पवन कुशवाहा, प्रवीण राजपूत, युवराज राजपूत, वंश साहू, देव कुशवाहा, बीरेंद्र राजपूत, देवेश कुशवाहा, मयंक विश्वकर्मा

समारोह ने न केवल बच्चों के अद्वितीय प्रयासों को सम्मानित किया, बल्कि यह आयोजन आदर्श महिमा पब्लिक स्कूल उदयपुरा की शिक्षा और खेल में निरंतर सुधार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया।

अविरल टेक्नोलॉजी के ओनर मिस्टर दीपक गौर जी को मंच पर तीसरी बार अवार्ड से सम्मानित किया

आदम एक्टर क्रिएशन की और से प्रस्तुत की गई दो कहानी जिसका नाम था बड़े भाई साहब और कफन इस दौरान अविरल टेक्नोलॉजी के ओनर मिस्टर दीपक गौर जी को मंच पर तीसरी बार अवार्ड से सम्मानित किया गया एवं प्रथम नाटक शुरू होने से पहले मिस्टर दीपक गौर जी से दीप प्रज्वलित कराए गए कहानियों का प्रारंभ होने से पूर्व मिस्टर गौर ने दीपक प्रज्वलित करें उसके पश्चात नाटकीय कहानियां का प्रारंभ शुरू हुआ श्री दीपक गौर जी को मंच पर सम्मानित किया गया यह मौका उनके लिए तीसरा अवसर था दीपक जी अपने सरल स्वभाव के कारण समाज में जाने पहचाने जाते हैं एवं उनके सभी कार्य सराहनीय होते हैं मिस्टर गौर यह भी बताते हैं कि देश में बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए उन्होंने बताया कि हमने कई रोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान किए हैं और वह समाज कार्यों के लिए आगे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं एवं समाज कार्य के कार्यों के लिए हमेशा तात्पर्य होते हैं उनके सभी कार्य सराहनीय एवं तारीफे काबिल होते हैं इसी दौरान नाटक प्रारंभ हुआ जिसमें बताया गया कफन और बड़े भाई साहब की कहानी को कहानी का सारांश यह निकलता है कि कफन नाटक के दौरान गरीबों को कैसे महसूस किया जाता है एवं गरीबी एक रूप से श्राप है इसे दूर करना बहुत ही जरूरी है इन दोनों कहानियों के लेखक मुंशी प्रेमचंद थे एवं इस निर्देशन किया आदम ने इन कहानियों के मुख्य कलाकार थे आदम फरहान बैग सलोनी आकांक्षा अरविंद साहू एवं इन दोनों कहानियों में मुख्य रूप से संगीत दिया था एवं संगीत संचालन किया था मिस्टर रंजीत पंथी जी ने आदम एक्टर क्रिएशन इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर आदम खान सर वह एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे निर्देशक हैं एवं बहुत अच्छे गुरु भी हैं उनकी शिक्षा सभी स्टूडेंट एवं सभी वर्ग के लोगों को बहुत कुछ सिखाती है श्री आदमएक्टिंग की दुनिया के बादशाह कहलाते हैं उनकी एक्टिंग से एवं उनके कार्यों को देखकर कई शिक्षक स्टूडेंट आज कई फिल्मों में एवं टीवी सीरियल नाटकों में वेब सीरीज में कार्य कर रहे हैं उनके स्टूडेंट दिल्ली मुंबई ऑस्ट्रेलिया एवं कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं मिस्टर आंदम अपनी काल्पनिक सोच से कई कहानियों को निर्देशित कर चुके हैं आदम सर के बारे में जितने शब्द कह उतने कम हैं वह मानवीय रूप पर एवं सामाजिक रूप पर बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं एवं उनके स्वभाव से उनके गुणवत्ता से कई शिक्षक आगे बढ़े हैं हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर आदम के आशीर्वाद के अनुसार हम सभी स्टूडेंट आगे बढ़ते रहें।

5वीं और 8वीं परीक्षाओं के परिणाम आज होंगे घोषित

विद्यार्थी दोपहर एक बजे से देख सकेंगे परिणाम।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय पत्रकार

भोपाल। राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं का परिणाम, शुक्रवार 28 मार्च 2025 को दोपहर एक बजे घोषित किया जायेगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि परिणाम शुक्रवार 28 मार्च को दोपहर एक बजे परीक्षा परिणाम पोर्टल पर जारी किया जायेगा। विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षकगण उक्त परिणामों को राज्य शिक्षा केन्द्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in/result.asp& पर अपना रोल नम्बर/समग्र आईडी प्रविष्ट कर देख सकते हैं। इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम भी देख सकेंगे। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने बताया कि उक्त परीक्षाओं का संचालन विगत 24 फरवरी से 5 मार्च, 2025 के मध्य किया गया था। इनमें प्रदेश की शासकीय, अशासकीय शालाओं एवं पंजीकृत मदरसों के कक्षा 5वीं के 11 लाख 17 हज़ार से अधिक तथा कक्षा 8वीं के 11 लाख 68 हज़ार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में शामिल 22 लाख 85 हजार से अधिक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कुल 322 केन्द्र बनाये गए थे। इन मूल्यांकन केन्द्रों में एक लाख 19 हज़ार से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि पोर्टल पर दर्ज की गई है।

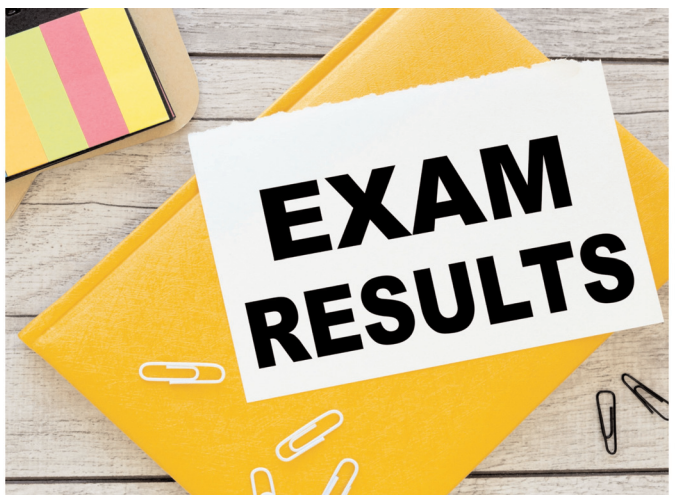

आम आदमी पार्टी बस्तर, छत्तीसगढ़

जगदलपुर निवासी आनंद शुक्ला पर रेडी-टू-इट वितरण कार्य में भुगतान संबंधी धांधली का आरोप - आम आदमी पार्टी

रेडी टू इट सामग्री वितरण करने वाले समितियों और कामगारों का भुगतान वर्षों से शेष - आप

आम आदमी पार्टी ने रेडी टू इट वितरण कार्य में हुए भुगतान संबंधित धांधली को लेकर संभाग आयुक्त को सौपा ज्ञापन, जांच और कार्यवाही की मांग

जगदलपुर। आम आदमी पार्टी ने राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ियों में वितरित की जा रही रेडी-टू-इट सामग्री के वितरण कार्य में हुई गंभीर अनियमितताओं और लंबित भुगतान के संबंध में बस्तर संभाग आयुक्त को प्रदेश सचिव तरुणा साबे के नेतृत्व मे ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव तरुणा साबे के नेतृत्व में जिले की टीम ने संभाग आयुक्त से मुलाकात की और आरोप लगाया कि जगदलपुर निवासी व्यापारी आनंद शुक्ला द्वारा आंगनबाड़ियों में सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा था, लेकिन संबंधित समितियों, मितानिनों और अन्य कामकाजी लोगों को उनका उचित भुगतान नहीं किया गया। इस भुगतान के लंबित होने से श्रमिकों में भारी असंतोष है और कुछ कार्यकर्ताओं को बैंक चेक दिए गए, लेकिन खातों में पर्याप्त धन न होने के कारण भुगतान संभव नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर बस्तर संभाग के अधिकारियों से जवाबदेही तय करने की मांग की है और आरोप लगाया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को इस मामले की भनक क्यों नहीं लगी। पार्टी ने यह भी कहा कि यह प्रशासन की मिलीभगत का मामला हो सकता है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में ठेकेदारों द्वारा कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है।

आम आदमी पार्टी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक आईएएस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की विशेष मांग की है ताकि इस मामले की निगरानी और समाधान सुनिश्चित किया जा सके। पार्टी के ज़िला अध्यक्ष शुभम सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा शोषित वर्ग की आवाज उठाती रही है और इस मामले में भी वह भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रखेगी। वरिष्ठ नेता नवनीत सराठे ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और प्रशासन से शीघ्र और प्रभावी कार्यवाही की उम्मीद जताई। ज्ञापन देने के दौरान प्रदेश सचिव तरुणा साबे, ज़िला अध्यक्ष शुभम सिंह, वरिष्ठ नेता नवनीत सराठे, सोनू कश्यप, उत्तम नाग,राकेश कश्यप,ईश्वर कश्यप, गोपाल कस्यप,अमित,दशमू बघेल,लुकाश प्रधान ,मोहन ठाकुर सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

आप मिडिया सेल
जिला बस्तर छत्तीसगढ़

आना कभी मेरे बस्तर में,
यहाँ झरने का इठलाना देखना,
मासूम से आदिवासियों का मुस्कुराना देखना,
उनकी सादगी और प्यार को महसूस करना।

आना कभी तुम मेरे बस्तर में,
यहाँ की कुटुमसर गुफा में पत्थरों का चमकना देखना,
जँगली फूलों की महक महसूस करना,
यहाँ की नदियों का कल-कल बहना देखना।

आना कभी तुम मेरे बस्तर में,
यहाँ के जंगल और पहाड़ देखना,
हरे-भरे वनों की सुंदरता को निहारना,
यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को महसूस करना।

आना कभी तुम मेरे बस्तर में,
यहाँ की संस्कृति और परंपरा को देखना,
आदिवासी समुदाय के साथ जुड़ना,
उनकी जीवनशैली और रीति-रिवाजों को समझना।

आना कभी तुम मेरे बस्तर में,
यहाँ की शांति और सुकून को महसूस करना,
यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारना,
यहाँ के लोगों के दिलों में बसना।

दूर दूर रहते हो तभी हो सकती है झिझक तुम्हें,
पर एक बार जरूर आना तुम मेरे बस्तर में,
और बस जाएगा मन तुम्हारा मेरे बस्तर में।

दीप्ति बाजपाई
छत्तीसगढ़ (बस्तर)

नारी सम्मान के रक्षक वीरांगना संदरी माता शौर्य दिवस मनाने का निर्णय लिया गया

शिक्षक एवं साहित्यकार- आप सभी को सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि सन् 1883 ईस्वी के ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए सतनाम पुनर्जागरण संगठन SPS के बैनर तले दिनांक 29-04-2025 को नारी सम्मान के रक्षक वीरांगना सुंदरी माता शौर्य दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर को अक्षुण बनाए रखने के लिए शिक्षक एवं साहित्यकार जगतारन डहरे के संपादन एवं अधिवक्ता मणिशंकर दिवाकर के सह-संपादन में हम एक साझा संकलन निकलवाना चाहते हैं।जिसके लिए दिनांक 15-04-2025 तक अपने संक्षिप्त परिचय व फोटो सहित हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी में रचनाएँ आमंत्रित करते है।सभी प्रतिभागियों को एक-एक पुस्तक व वीरांगना सुंदरी माता शौर्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा।

संक्षिप्त परिचय निम्न प्रारूप में प्रेषित करें।

1-नाम
2-माता-
3-पिता
4 -जन्मतिथि
5-पता
6- शैक्षणिक योग्यता
7-प्राप्त सम्मान

ध्यान रखने योग्य बातें

1- सम्पूर्ण लेख या कविता ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित सुंदरी माता के जीवन से संबंधित हो .

2 -रचनाएँ राष्ट्र,धर्म और सम्प्रदाय को ठेस पहुँचाने वाली न हों

3 -रचनाएँ स्वरचित व मौलिक हों तथा किसी संकलन में पूर्व प्रकाशित न हों।

4 -रचनाएँ टंकित कर ही प्रेषित करें

*5 -प्रत्येक रचनाकार के लिए 3 पृष्ठ सुरक्षित रहेगा।

6-रचनाएँ हिंदी या छत्तीसगढ़ी भाषा में गद्य व पद्य दोनों विधा में मान्य किया जायेगा ।

7* सभी प्रतिभागियों को सहयोग राशि 500 (पाँच सौ रुपए मात्र)प्रदान करना होगा।

फोन पे सम्पर्क सूत्र एवं रचना प्रेषण हेतु निम्नलिखित मोबाईल नंबर का उपयोग करें

9907274869
जगतारन डहरे(संपादक)
8120587822 9516369752
मणिशंकर दिवाकर गदगद(सह-संपादक)

नोट-ऐतिहासिक घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण संप्रेषित है।

[25/03, 12:16] शिक्षक एवं साहित्यकार- मानवाधिकार-स्वाभिमान के लिए आंदोलन- सतनाम आंदोलन की एक प्रसिद्ध घटना है -मानवाधिकार स्वाभिमान डोला यात्रा इस डोला यात्रा में सतनामियों एवं सामंतवादी ताकतों के बीच बहुचर्चित संघर्ष हुआ था। यह घटना इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोकगीतों में भी इसकी का गूंज सुनाई देती है। लोकनाचा में अक्सर यह सुनाई पड़ता था कि रन खेत माड़गे संगी रे चिरहुला के लड़ाई में रन खेत माड़गे अर्थात सुनो साथियों चिरहुला नामक गांव में एक जबर्दस्त लड़ाई हुई थी जिसे आज भी याद किया जाता है। यह घटना करीब 1883 ई. के

आपपास की है। यह उस दौर की बात है जब सतनाम दमनकारियों ,सामंतों ने गुरुधासीदास के द्वितीय पुत्र गुरू बालकदास की हत्या को अंजाम देकर उसकी जगह षडयंत्र पूर्वक एक ऐसे व्यक्ति को गुरु गद्दी में बैठा दिया गया था।जिससे सतनाम आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इससे सतनाम आंदोलन को तोड़ने लोकदमनकारियों से सतनामी प्रमुखों की मिलीभगत का अध्याय शुरू हुआ। लेकिन इसके बावजूद आम सतनामी जनों में सतनाम आंदोलन के उद्देश्यों के प्रति जज्बा बरकरार रहा विशेषकर नवगढ़िया क्षेत्रों में ।

नवागढ़ राज (वर्तमान बेमेतरा-मुंगेली जिला इलाका) के ग्राम नवलपुर (ढारा) आंदोलन का एक महत्वपूर्ण गढ़ रहा है। सतनाम आंदोलन के प्रमुखों में से एक साहेब श्री भुजबल महंत यहीं के निवासी थे। एक समय भुजबल महंत साहब अपने घोड़े में सवार होकर पूरे आन-बान-शान से मानवोचित गरिमानुरूप वस्त्र-पगड़ी पहने, अपने सहयोगियों के साथ नवागढ़ मुंगेली की ओर (नवागढ़-मुंगेली मार्ग पर) अपने पुत्र दयालदास की शादी के लिए वधु खोजने जा रहे थे। रास्ते में पुरान नामक गांव में किचिंत विश्राम करने, घोड़ा को पानी पिलाने यहां के एक तालाब के पास रूके। उन्हें वहां गांव के एक सामंती व्यक्ति अमोली सिंह राजपूत रूककर-यह समझकर कि वे किसी जगह के गौंटिया-स्वामी या राजकीय अधिकारी होंगे।अमोली सिंह ठाकुर ने अभिवादन करते भुजबल महंत साहब को %पायलागी ठाकुर साहब कहा। प्रति अभिवादन में भुजबल महंत ने %सतनाम साहेब% कहा। अमोली को इससे जबर्दस्त झटका लगा और वह समझ गया कि यह कोई ठाकुर नहीं, सतनामी है। वे घायल सांप की तरह फुफकार कर बोले अरे तुम सतनामी हमारे गांव में आकर राजसी ठकुराई पगड़ी-वस्त्र धारण कर घोड़े में आये हो, तुरन्त घोड़ा छोड़कर पगड़ी-पनही उतारकर, अपने सिर में जूता रखकर माफी मांगो और कभी ऐसा नहीं करने की चेतावनी देने लगा। प्रत्युत्तर में भुजबल महंत साहब ने कहा कि हम मनुष्य हैं। हम किसी के गुलाम नहीं है। वातावरण में तना-तनी बढ़ती गई भुजबल महंत एवं उनके साथियों के पास अस्त्र-शस्त्र देखकर और गांव में अल्प संख्या में सामंती होने के कारण भुजबल महंत पर सीधे हमला करने की हिम्मत अमोली ठाकुर की नहीं हुई। उन्हें पता था कि ऐसा करने से आसपास हल्ला-दंगा होगा और बहुसंख्या में सतनामी यहाँ आ धमकेंगे, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जायेगा। उन्होंने रणनीति से काम लेते हुए कहा कि तुम्हें इसका मजा चखाया जायेगा। इस पर भुजबल महंत ने कहा कि ठाकुर साहब मुझे चाहे जो भी मजा चखाया जायेगा, वह तो समय आने पर देख लेंगे। लेकिन यह मामला न तुम्हारा है न मेरा। यह समस्त मानव समाज के सम्मान या अपमान का है। हम सतनामी मानव के स्वाभिमान व अधिकार के पक्षधर हैं और आप इसके विरोधी। हम दोनों अपने-अपने पक्षघरों में बता-बुलाकर दुनिया के आमने-सामने होकर यह बतायें कि आखिर हमारे बीच लड़ाई किस बात के लिए है। यहां हमें गांव में अकेले एकपक्षीय झूठे आरोप लगाकर आप हल्ला कर सकते हैं कि हम यहाँ डाका डलाने आये हैं तो सच्चाई छिप जायेगी। इसलिए जगजाहिर तौर पर लड़ाई के मुद्दा को दुनिया जाने। इस तरह भुजबल महंत आगे बढ़ गए और इसकी जानकारी सूचना सर्वत्र सतनामियों को दी गई। इधर सामंती ठाकुरों ने अपने लोगों को सतनामियों के इस %घोर पाप% की सजा देने के लिए षडयंत्र रचने के प्रयास में लग गये। बुजबल महंत साहब ने आगे चिरहुला गांव जाकर समाज की बैठक लेकर सारा वृतांत सुनाया । वहां बखरिया भंडारी ने यह कहा कि मेरी बेटी सुन्दरिया का विवाह भुजबल महत के पुत्र दयालदास से करूंगा। सभी ने इसका स्वागत करते हुए यह तय किया कि सतनाम मुखियागण यह निर्णय लें कि इस शादी में वर-वधु को डोला में बिठाकर विदा किया जायेगा और बारात का आगमन प्रस्थान पुरान गांव के रास्ते से ही होगा। हम डरकर रास्ता नहीं बदलेंगे। हम सतनामी जन मानवाधिकार के लिए स्वाभिमान के साथ डोला लेकर यात्रा करेंगे। इसकी जानकारी सभी जिला-राज के लोगों को दिया जाय। कौन मनुष्य के बराबरी सम्मान हे पक्ष में है और कौन इसके विपक्ष में। यह भी दुनिया को मालूम हो जायेगा। न्याय-अन्याय का संघर्ष तभी सार्थक होगा। सरकार को भी इससे अवगत कराने नागपुर (तात्कालिक छत्तीसगढ़ सी.पी.एण्ड बरार की राजधानी) जाकर सतनामियों का एक मुखिया मंडल गवर्नर से भेंट कर कहा कि, हम सतनामी जन मनुष्यता की समानता में विश्वास कर अपनी बहू को बोला में बिठाकर सम्मान देंगे। जो लोग अपनी बहू को ऐसा पारंपरिक सम्मान देते-करते हैं और हमारे द्वारा ऐसा करने का विरोध कर रहे हैं, वे मानवाधिकार का उल्लंघन करने के दोषी है। इसलिए ऐसे लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करना चाहिये। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने मान-सम्मान से जीना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा करने से रोकता है, और इस पर हमला करता है तो हमें अपनी आत्म-रक्षा करने का पूरा अधिकार है।

इस पूरे वाक्यात से तात्कालिक प्रशासन व सामाजिक-राजनीतिक हल्कों में सरगर्मियों बढ़ गयी। लोकचेतनकारी सिद्धांतों को मानने वाले सतनामियों के इस प्रयास को सही ठहराते और लोकदमनकारी सामंती तत्व सतनामियों को नीचा दिखाने व कड़ी सबक सिखाने के लिए अनेक तरह के झूठा प्रचार कर उपद्रव फैलाने के काम में लगे रहे। शादी की पूरी तैयारी करके नवलपुर से बहुत बड़ी संख्या में लोग चिरहुला के लिए डोला के साथ बारात लेकर निकले। सभी लोग अपने आत्म रक्षार्थ विविध हथियारों से लैस होकर मानवोचित गरिमा के साथ वस्त्र-पगड़ी, साज-समान के साथ बारात में शामिल थे। (त्रङ्कस्स् शोध साक्षात्कार दौरा में नवलपुर के पास एक गांव में एक ऐसे शख्स से भेंट हुई, जो इस घटना को अपने बुजुर्गों से सुना था और उनके पूर्वजों ने जिस लाठी / हथियार से सज्जित होकर बारात में गये थे उसे सम्हालकर रखा था और त्रङ्कस्स्टीम को बताया कि अभी कुछ वर्षों पूर्व इसे विनिष्ट-विसर्जित कर दिया)बारात पुरान गांव से होकर गुजरा, लेकिन बारात पर कोई रोक-टोक नहीं हुआ। आंदोलनकारियों के संगठन ने अपनी सर्तकता टीम से यह पता लगा लिया था कि लोकदमनकारियों ने एक विशेष रणनीति यह बनाया था कि बारात के जाने के समय नहीं बहू लेकर वापसी में रोकना व हमला करना है। %खाली डोला को नहीं उनकी बहू के साथ डोला लूटना है। बारात का आन-बान-शान से चिरहुला में स्वागत हुआ। विवाह संस्कार निपटने के बाद मौर विदाई हुई। विरहुला और पुरान के बीच एक छोटी सी टेसुआ नामक नदी है। पुरान के पास में लगा गांव नवागांव घोरपुरा है। यहीं पर सामंतों ने बारात पर हमला करने घेराबंदी करने की रणनीति बनाया था। जमीन में खंदक बनाकर वे छिपे बैठे थे। सतनामी संगठन को अपनी सतर्कता टीम से यह भी जानकारी हो गई थी कि वे खंदक से निकलकर अचानक हमला करेंगे और डोला के साथ बहू को भी उड़ायेंगे। सचेत, होशियार बारातियों ने अग्रिम सुरक्षा दस्ता) ने खंदकों में छिपे गुंडों पर औचक ही टूट पड़े। डोला की ओर आते गुंडों से स्वयं वधु सुन्दरिया माता ने तलवार लेकर हमलावरों के सामने आ डटी। सारे सतनामी योद्धा एक साथ हमलावरों पर टूट पड़े। हमलावरों को यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी रणनीति का खुलासा हो जायेगा। वे इधर-उधरे भागने लगे। सरकार-प्रशासन के लोग सामने नहीं आए, वे लोकदमनकारियों से मिलीभगत कर अदृश्य बने रहे। सतनामियों ने अपने आत्म रक्षार्थ हथियार चलाये। हमलावर भाग खड़े हुए और सतनामी अपनी इज्जत स्वरूप डोला-वधु को ससम्मान नवलपुर बारात वापस आयी। इस घटना का समस्त जगहों में इतना प्रभाव पड़ा कि सतनामियों को जहां मानवाधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले योद्धा के रूप में प्रसिद्धि मिली। लेकिन लोकदमनकारियों एवं असमानता पोषक सामंती समाज के बीच सतनामियों के प्रति दुश्मनी एवं बदले की भावना बलवती होती गई। चिरहुला व आसपास के गांवों के प्रशासनिक रिकार्ड व थाने के वर्तमान अभिलेखों में भी इस तरह के वृतांत मौजूद है कि, किस तरह सामंती तत्वों ने सतनामियों पर घोर जुल्म ढाए। (इसका और वर्णन आगे के पाठ में बतायेंगे) इन जुल्मों के खिलाफ सिर्फ आम सतनामी जन लड़े-मरें, लेकिन सामाजिक, राजनैतिक कथित मुखियाओं गुरू-महंतों ने जन संघर्षों में कोई मदद नहीं किया। उस समय और आज भी ये अपनी स्वार्थ-सिद्धी के लिए अपने को सतनामियों के गुरू-महंत मुखिया कहते-बताते हैं। लेकिन अपमान अन्याय के खिला इन ऐतिहासिक संघर्षों को कभी मान नहीं देते। वे लोकदमनकारियों के पिछ्लग्गू-मिलीभगत से गद्दारी करने का ही काम करते हैं। त्रस्स् ने इस ऐतिहासिक घटना को विश्व समुदाय को अवगत कराने एवं समानता के लिए सतत संघर्ष करने के लिए प्रेरित कराने हर वर्ष नवलपुर से चिरहुला में %मानवाधिकार स्वाभिमान डोला यात्रा% का आयोजन किया जाता है। इसमें बिना किसी जाति, धर्म, लिंग-नस्ल, राष्ट्रीयता के भेदभाव के सभी लोगों को समानता के आधार पर आमंत्रित करते हैं, लेकिन समाजघातियों की कोशिश इसके उलट होती है। छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश आदि जगहों से सभी जाति संप्रदाय यादव मुस्लिम आदि भाई इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं और आने वाले समय में इसका वृहद पैमाने पर आयोजन को विस्तार देने की सोच द्द्ह्यह्य द्वारा किया जा रहा है।

GSS कैडर क्लास पुस्तिका से साभार

स्वत्वाधिकारी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड,तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक :-** नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)